

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(02)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 09.01.2026

::अधिसूचना::

ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 36ए बी की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राजस्थान राज्य में नवगठित जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली, सलूमबर के न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड ए व बी, धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (ए) व (सी), धारा 28, धारा 28ए व धारा 28बी तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से संबंधित दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिये विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, सलूमबर।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव